पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 232/2020

1. विजयसिंह पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. घडसीराम पुत्र तनुराम जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।
2. शेरसिंह पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रवन्धक भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 103/86 के खसरा सं0 308/2 की 4.199है0 खसरा सं0 384/2 की 2.365है0 खसरा सं0 402/2 की 10.661है0 कुल 17.225है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 घड़सीराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 घड़सीराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विजयसिंह प्रतिवादी सं0 1 घड़सीराम प्रतिवादी सं0 2 शेरसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.6.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) (सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 232/2020

1. विजयसिंह पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. घडसीराम पुत्र तनुराम जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।
2. शेरसिंह पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुशीराम गोस्वामी **: वादी**
वकील श्री सुरेन्द्र कुमार मील **: प्रतिवादीगण**

दिनांक : 24.06.21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 103/86 के खसरा सं0 308/2 की 4.199है0 खसरा सं0 384/2 की 2.365है0 खसरा सं0 402/2 की 10.661है0 कुल 17.225है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 घड़सीराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा तनुराम की खातेदारी हुआ करती थी। तनुराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 घड़सीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाएं मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद सख्या [illegible] करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया [illegible] वादी ने प्रतिवादी सं0 3 को तर्क अंकित किया । प्रतिवा[illegible] किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश [illegible] कोई आवश्यकता नही है। [illegible] में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 विजयसिंह पुत्र घड़सीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही रासलाना संवत् 2075—78 प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2055 प्रदर्श 2 शपथ पत्र बाबत् वारिसान प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही रासलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही रासलाना संवत् 2075–78 प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2055 प्रदर्श 2 शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 व 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण के अनुसार घड़सीराम के विजयसिंह, शेरसिंह तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 103/86 के खसरा सं0 308/2 की 4.199है0 खसरा सं0 384/2 की 2.365है0 खसरा सं0 402/2 की 10.661है0 कुल 17.225है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 घड़सीराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 घड़सीराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विजयसिंह प्रतिवादी सं0 1 घड़सीराम प्रतिवादी सं0 2 शेरसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:36 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner